जगदीश बनाम अर्जुन
प्रा. पत्र [illegible] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) मु. नं. 63/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
21-7-25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13-10-25 को पेश हो।
13.10.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में डोर समाप्ति तक कई बार बावजूद हिदायती जारी। वकील प्रार्थी के डोर हाजिर अदालत नहीं आये हैं। अतः वकील प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्वीकृत निषेधाज्ञा (अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधि०) को बदम पैरवी व बदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.17 17:01:36 IST
Reason: SelfAttested